

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : धारडी आवेदन पत्र का प्रकार : 5 राजस्व भूमि पर अतिक्रमण के मामले

1	dha-224	नर्मदा प्रसाद / हरे सिंह / धारडी	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	—	—	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।	
2	Dha-226	लालसिंह / तेरसिंह / धारडी	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	—	—	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।	
3	Dha-228	अवन्ताबाई / नर्मदाप्रसाद / धारडी	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	—	—	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : धारडी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

1	DHA-246	नैनसिंग / देवलाल / धारडभ	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 1 पर अ मजदूर के रूप मे राशि रु. 76850 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन अ. मजदूर के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
2	DHA-230	बालू / नाथू / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 63 पर अ मजदूर के रूप मे राशि रु. 67500 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन अ. मजदूर के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
3	Dha-232	इंदरसिंह / दरियाव / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	5 पर अ मजदूर के रूप मे राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
4	dha-233	सेतोष / नर्मदाप्रसाद / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 79 पर कृषक के रूप मे राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक के नाम कृषि भूमि होने से कृषक के रूप में पुनर्वास नीति के तहत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। पात्रता नहीं।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : धारडी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

5	DHA-234	कनीबाई / कालू / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 12 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
6	DHA-235	देवीसिंह / जयराम / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 61 पर अ मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
7	DHA-236	रामसिंग / देवीलाल / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 76 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक के नाम कृषि भूमि होने से कृषक के रूप में पुनर्वास नीति के तहत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। पात्रता नहीं।	
8	DHA-238	गबू / मेहताब / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 38 पर अ मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : धारडी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

9	DHA-238/1	भागवती / लक्ष्मीनारायण / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19860 आदेश दि. 15. 04.09 द्वारा अमान्य	जी.आर.ए द्वारा अमान्य पात्रता नहीं	
10	DHA-239	बालू / नत्थू / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 63 पर अ मजदूर के रूप में राशि रु. 67500 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन अ. मजदूर के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
11	DHA-240	हेमराज / बालू / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 64 पर अ मजदूर के रूप में राशि रु. 67500 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन अ. मजदूर के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
12	DHA-241	मौजीलाल / कालू / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 13 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : धारडी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

13	DhA-242	उमाबाई / अर्जन / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	जी.आर.ए के आदेश के पालन में कृषक के मान 46913 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19905 आदेश दि. 22. 08.08, 16.06.09 द्वारा कृषक पुनर्वास अनुदान मान्य	आवेदक के नाम कृषि भूमि होने से कृषक के रूप में पुनर्वास नीति के तहत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। पात्रता नहीं।	
14	DHA-243	बसंता / कन्हेयालाल / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 9 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
15	DHA-252	मौजीलाल / कालू / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 13 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
16	DHA-260	सीताराम / छीतर / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 3 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : धारडी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

17	DHA-259	कालू / रुघनाथ / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	जीआरए के आदेश के पालन में आवेदक अन्य मजदूर के रूप में पुनर्वास अनुदान राशि 93000 स्वीकृत कर भुगतान की हे।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19502 आदेश दि. 24. 03.09 द्वारा मान्य	आवेदक को भूमिहीन अ. मजदूर के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
18	DHA-258	छीतर / नन्नू / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 14 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक के नाम कृषि भूमि होने से कृषक के रूप में पुनर्वास नीति के तहत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। पात्रता नहीं।	
19	DHA-257	दयाराम / छीतर / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 1 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
20	dHA-256	घुघुरीबाई / सुकलाल / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 57 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : धारडी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

21	DHA-244	तेजूबाई / किशन / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 73 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
22	DHA-253	किशन / मुकुन्द / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	40 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
23	DHA-245	नर्मदाप्रसाद / हरेसिंह / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 78 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक के नाम कृषि भूमि होने से कृषक के रूप में पुनर्वास नीति के तहत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। पात्रता नहीं।	
24	DHA-251	मुरली / किशन / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	42 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : धारडी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

25	DHA-250	कनीबाई / ओंकार / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 12 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
26	Dha-249	संतोष / चेतारा / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	जीआरए के आदेश के पालन में आवेदक को पुनर्वास अनुदान अ. मजदूर के रूप में राशि रु. 76850 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19858, 19495 आदेश दि. 06.04.09 द्वारा पुनर्वास अनुदान मान्य	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
27	DHA-248	सुमन / हीरालाल / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 31 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक के नाम कृषि भूमि होने से कृषक के रूप में पुनर्वास नीति के तहत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। पात्रता नहीं।	
28	DHA-247	भीमसिंह / सुखलाल / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 60 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : धारडी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

29	DHA-190	राजेन्द्र / भगतसिंह / धारडी मजरा टोला नरसिंगपुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	—	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के क्र. 24 पर दर्ज नहीं होने से पात्रता नहीं।	
30	DHA-254	गलसिंग / सुकलाल / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 29834 आदेश दि. 09.06.09 द्वारा अन्यत्र निवासी होने से अमान्य	अन्यत्र निवासी होने से पात्रता नहीं।	
31	Dha-198	मेहताब / अर्जुन / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 15 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	पात्रता नहीं	
32	DHA-229	हेमराज / बालू / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 64 पर अ मजदूर के रूप में राशि रु. 67500 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन अ. मजदूर के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : धारडी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

33	Dha-204	सुमनबाई / हिरालाल / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 32 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक के नाम कृषि भूमि होने से कृषक के रूप में पुनर्वास नीति के तहत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। पात्रता नहीं।	
34	Dha-203	आशाराम / मोहनलाल / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	—	—	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के क्र. 18 पर उम्र-16 वर्ष अवयस्क पुत्र के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।	
35	Dha-202	मोहन / बशकर / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19839 आदेश दि. 24. 03.09 द्वारा अमान्य	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के क्र. 6 पर उम्र-17 वर्ष अवयस्क पुत्र के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।	
36	Dha-201	राजेश / नर्मदाप्रसाद / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 29161 आदेश दि. 09. 06.09 द्वारा अमान्य	भू अर्जन अधिकारी के आदेश दि. 12.01.09 के अनुसार धारा 4 के दि. को 18 वर्ष पूर्ण न होना शाला प्रवेश पंजी के जन्म दिनांक में प्रमाणित है। अतः इनके नाम से स्वीकृत पुनर्वास अनुदान निरस्त किया जाता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : धारडी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

37	DHA-206	चोपसिंग / रायसिंग / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	—	—	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के सरल क्र. 35 पर उम्र-17 वर्ष अवयस्क पुत्र के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।	
38	Dha-199	देवराज / गोकुंल / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19848 आदेश दि. 24. 03.09 द्वारा अमान्य	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं होने से अनुदान नहीं दिया गया।	
39	Dha-210	संतोष / बालू / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19861 आदेश दि. 04. 04.09 द्वारा अमान्य	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के क्र. 48 में दर्ज नहीं होने से पात्रता नहीं।	
40	Dha-197	राधेश्याम / कन्हैयालाल / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	—	—	भू अर्जन अधिकारी के आदेश दि. 12.01.09 के अनुसार धारा 4 के दि. को 18 वर्ष पूर्ण न होना शाला प्रवेश पंजी के जन्म दिनांक में प्रमाणित है। अतः इनके नाम से स्वीकृत पुनर्वास अनुदान निरस्त किया जाता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : धारडी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

41	Dha-196	श्याम / गेदालाल / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	—	—	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के सरल क्र. 25 पर उम्र-15 वर्ष अवयस्क पुत्र के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।	
42	Dha-195	सुरेश / कालू / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19883, 19889, आदेश दि. 10.06.09, 22.08.08 02.05.06 द्वारा अमान्य	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं होने से पात्रता नहीं।	
43	Dha-194	बसकर / कुंजीलाल / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19830 आदेश दि. 15. 04.09 द्वारा अमान्य	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के क्र. 26 पर उम्र-17 वर्ष अवयस्क पुत्र के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।	
44	DHA-193	सुशीलाबाई / हिरालाल / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19907 आदेश दि. 22. 08.08, 10.06.08 अमान्य कंडिका 7.2 भी अमान्य	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं होने से पात्रता नहीं।	
45	Dha-192	शिवभानू / फुलसिंग / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 13969 आदेश दि. 02. 05.06 अमान्य	अन्यत्र निवासी पात्रता नहीं।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : धारडी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

46	Dha-200	किशन / गलसिंग / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19850 आदेश दि. 08. 04.09 द्वारा अवयस्क होने से अमान्य	पात्रता नहीं	
47	Dha-218	शांतिलाल / छीतरसिंह / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 18929 आदेश दि. 06. 04.09 द्वारा अवयस्क होने से अमान्य	जीआरए द्वारा अमान्य होने से पात्रता नहीं।	
48	Dha-191	सीताराम / कन्हैयालाल / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	—	—	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के क्र. 8 पर उम्र-16 वर्ष अवयस्क पुत्र के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।	
49	DHA-263	हरेसिंह / सुखलाल / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 58 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
50	DHA-223	प्रेमलाल / अर्जुन / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19509 आदेश दि. 24. 03.09 द्वारा अवयस्क होने से अमान्य	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के क्र. 9 पर उम्र-16 वर्ष अवयस्क पुत्र के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : धारडी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

51	DHA-222	जसु / मंशिया / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	-	-	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के क्र. 39 में दर्ज नहीं होने से पात्रता नहीं।	
52	DHA-221	भागवतीबाई / लक्ष्मीनारायण / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	-	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19860 आदेश दि. 15. 04.09 द्वारा अमान्य	जीआरए द्वारा अमान्य होने से पात्रता नहीं।	
53	Dha-205	छीतर / नन्नू / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 4 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	-	आवेदक के नाम कृषि भूमि होने से कृषक के रूप में पुनर्वास नीति के तहत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। पात्रता नहीं।	
54	Dha-219	अमरावती / गोकुल / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	-	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19847 आदेश दि. 24. 03.09 द्वारा अमान्य	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं होने से पात्रता नहीं।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : धारडी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

55	Dha-189	सोनसिंह / धनसिंह / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19513 आदेश दि. 24. 03.09 द्वारा कंडिका 6. 1 मान्य	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नही होने से अनुदान नही दिया गया।	
56	DHA-216	सोना / सीताराम / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	—	—	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के क्र. 03 में दर्ज नही होने से पात्रता नही।	
57	Dha-215	सोनसिंह / धनसिंह / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19513 आदेश दि. 24. 03.09 द्वारा कंडिका 6. 1 की राशि मान्य	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नही होने से पात्रता नही।	
58	DHA-214	रेखा / बालू / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20002 आदेश दि. 04. 04.09 अमान्य	जी.आर.ए द्वारा अमान्य होने से पात्रता नही।	
59	Dha-213	तोड़िया उर्फ तुलाराम / बालू / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20001 आदेश दि. 04. 04.09 द्वारा अमान्य	जी.आर.ए. अमान्य होने से पात्रता नही।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : धारडी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

60	Dha-212	नारायण / बालू / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20003 आदेश दि. 04.09 द्वारा अमान्य	अन्यत्र निवासी होने से पात्रता नहीं	
61	Dha-211	अर्जुन / मांगीलाल / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 17 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19875 आदेश दि. 10.06.08 द्वारा कंडिका 7.2 की राशि मान्य	आवेदक के नाम कृषि भूमि होने से कृषक के रूप में पुनर्वास नीति के तहत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। पात्रता नहीं।	
62	Dha-220	कमल / कुवरसिंग / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	—	—	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के क्र. 51 पर उम्र-16 वर्ष अवयस्क पुत्र के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।	
63	DHA-319	कैलाश / शोभाराम / धारडीमजराटोला नरसिंग.	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 56 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक द्वारा भूखंड के बदले नगद राशि 20000 प्राप्त कर ली गई। पात्रता नहीं।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : धारडी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

64	DHA-329	कालू / बावरिया / धारडीमजराटोला नरसिंग.	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 36 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक द्वारा भूखंड के बदले नगद राशि 20000 प्राप्त कर ली गई। पात्रता नहीं।	
65	DHA-325	नवलसिंह / अमरसिंह / धारडीमजराटोला नरसिंगपुरा	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को मुआवजा ग.प.क क्र. 86 पर मकान मुआवजा राशि 22677 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	—	अन्यत्र निवासी।	
66	DHA-324	महेश / तोताराम / धारडीमजराटोला नरसिंगपुरा	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक 105 पर मकान की मुआवजा राशि 7522/- निर्धारित कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20053 आदेश दि. 22.08.08, 10.11.08 द्वारा कंडिका 7.2 की राशि अमान्य	जी.आर.ए से अमान्य से पात्रता नहीं।	
67	DHA-323	रुखडिया / मांगीलाल / धारडी	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को मुआवजा ग.प.क क्र. 85 पर मकान मुआवजा राशि 10228 निर्धारित कर भुगतान की गई है। पुन. अनु. गणना पत्रक क्र. 65 पर मजदूर के रूप में राशि 93000/- स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	मकान की मुआवजा राशि 10228 भुगतान की गई है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
ग्राम का नाम : धारडी							
आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत							
68	DHA-322	सरदार / शोभाराम / धारडी म.टोला नरसिंगपुरा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 57 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक द्वारा भूखंड के बदले नगद राशि 20000 प्राप्त कर ली गई। पात्रता नहीं।	
69	DHA-314	राजु / शोभाराम / धारडीमजराटोला नरसिंगपुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	—	—	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के क्र. 58 पर उम्र-16 वर्ष अवयस्क पुत्र के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।	
70	DHA-320	राजाराम / कैकड़िया / धारडीमजराटोला नरसिं.	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 4 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक द्वारा भूखंड के बदले नगद राशि 20000 प्राप्त कर ली गई। पात्रता नहीं।	
71	DHA-332	करणसिंह / नत्थूसिंग / धारडीम. टोला नरसिंग.	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 63 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत होकर भूखंड के राशि 20000 छोड़कर शेष राशि भुगतान की गई है।	—	पुनर्वास स्थल देवझिरी तहसील बागली जिला देवास में भूखंड क्र. 68 आदेश दिनांक 20.06.12 से भूखंड आवंटन किया गया है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : धारडी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

72	DHA-597	बुद्धीबाई / रंगलाल / धारडी	संपूर्ण आबादी भूखंड का मुआवजा निर्धारण कर दिए जाने बाबत्।	आवेदक को मुआवजा ग.प.क क्र. 21 पर भूखंड एवं मकान मुआवजा राशि 45860 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	—	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से प्राप्त निर्देश अनुसार एफआएल से एमडब्ल्यूएल के बीच आबादी क्षेत्र के मकानों व उनसे जुड़ी परिसंपत्तियों व उनके नीचे की भूमि का ही अर्जन किया जाना है। रिक्त भूखंड का नहीं।	
73	DHA-598	धनसिंह / रंगलाल / धारडी	संपूर्ण आबादी भूखंड का मुआवजा निर्धारण कर दिए जाने बाबत्।	आवेदक को मुआवजा ग.प.क क्र. 22 पर मकान मुआवजा राशि 30250 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	—	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से प्राप्त निर्देश अनुसार एफआएल से एमडब्ल्यूएल के बीच आबादी क्षेत्र के मकानों व उनसे जुड़ी परिसंपत्तियों व उनके नीचे की भूमि का ही अर्जन किया जाना है। रिक्त भूखंड का नहीं।	
74	DHA-318	मोहन / छगन / धारडी म०टो०नरसिंग.	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 71 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक द्वारा भूखंड के बदले नगद राशि 20000 प्राप्त कर ली गई। पात्रता नहीं।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : धारडी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

75	DHA-317	जगदीश / कालू / धारडी म.टोला नरसिं.	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 37 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक द्वारा भूखंड के बदले नगद राशि 20000 प्राप्त कर ली गई। पात्रता नहीं।	
76	DHA-316	सुरेश / दयाराम / धारडी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 67 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक द्वारा भूखंड के बदले नगद राशि 20000 प्राप्त कर ली गई। पात्रता नहीं।	
77	DHA-261	मोहन / किशन / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 41 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
78	DHA-321	सीताराम / कैकड़िया / धारडी म.टोला.नरसिंग	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 3 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक द्वारा भूखंड के बदले नगद राशि 20000 प्राप्त कर ली गई। पात्रता नहीं।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : धारडी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

79	DHA-340	रवि / रमेश / धारडी म. टोलानरसिंगपुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	-	-	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में दर्ज नहीं एवं आवेदक की उम्र धारा 4 के प्रकाशन दिनांक में 18 वर्ष से कम होने से पात्रता नहीं।	
80	Dha-536	सुभाष / शोभाराम / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 92 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	-	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
81	DHA-349	राकेश / जामसिंग / धारडीमजराटोला नरसिंग.	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	-	-	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के क्र. 11 पर उम्र-17 वर्ष अवयस्क पुत्र के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।	
82	DHA-348	गणेश / सुरेश / धारडी.म. टोलानरसिंगपुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	-	-	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के क्र. 43 पर उम्र-17 वर्ष अवयस्क पुत्र के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : धारडी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

83	DHA-346	लक्ष्मी / सुरेश / धारडी म.टोला नरसिंगपुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	-	-	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के क्र. 43 में दर्ज नहीं होने से पात्रता नहीं।	
84	DHA-345	चनन / मन्नालाल / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	-	-	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के क्र. 35 पर उम्र-16 वर्ष अवयस्क पुत्री के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।	
85	DHA-344	राजेन्द्र / शोभाराम / धारडी म.टोला नरसिंगपुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	-	-	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के क्र. 58 पर उम्र-17 वर्ष अवयस्क पुत्र के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।	
86	DHA-330	मनोहरसिंह / करणसिंह / धारडीम.टोला नरसिंगपुरा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 66 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	-	आवेदक द्वारा भूखंड के बदले नगद राशि 20000 प्राप्त कर ली गई। पात्रता नहीं।	
87	Dha-341	राकेश / कमलसिंह / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	-	-	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची क्र. 27 पर उम्र-17 वर्ष अवयस्क पुत्र के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : धारडी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

88	DHA-331	रानुबाई / अनारसिंग / धारडीम. टोलानरसिंगपुरा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिए जाने बाबत।	आवेदिका को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 65 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदिका द्वारा भूखंड के बदले नगद राशि 20000 प्राप्त कर ली गई। पात्रता नहीं।	
89	DHA-339	जितेन्द्र / कुवरसिंह / धारडीम. टोला नरसिंगपुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	—	—	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के क्र. 28 पर उम्र-13 वर्ष अवयस्क पुत्र के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।	
90	DHA-338	गेदा / शोभाराम / धारडी मजरा टोला न.पु.	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	—	—	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के क्र. 58 पर उम्र-15 वर्ष अवयस्क पुत्री के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।	
91	DHA-337	तिलोकचंद / रेवाराम / धारडी म. टोला नरसिंगपुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदक को मुआवजा ग.प.क क्र. 87 पर मकान मुआवजा राशि 27358 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	—	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं एवं निवासरत नहीं होने से पात्रता नहीं।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : धारडी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

92	DHA-335	पिड़िया / सुखराम / धारडी	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को मुआवजा ग.प.क क्र. 81 पर मकान मुआवजा राशि 3131 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19949 आदेश दि. 22.08.08 द्वारा कंडिका 7.2 की राशि अमान्य	पात्रता नहीं	
93	DHA-333	हिरालाल / करणसिंह / धारडीम. टोलानरसिंगपुरा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 64 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत भूखंड की राशि 20000 छोड़कर शेष राशि भुगतान की गई है।	—	पुनर्वास स्थल देवझिरी तहसील बागली जिला देवास में भूखंड क्र. 69 आदेश दिनांक 20.06.12 से भूखंड आवंटन किया गया है।	
94	Dha-313	ममता / कुवरसिंह / धारडीमजरा टोला नरसिंग	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	—	—	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के क्र. 28 पर उम्र-16 वर्ष अवयस्क पुत्री के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।	
95	DHA-343	गोविंद / राजाराम / धारडी म.टोला नरसिंगपुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	—	—	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के क्र. 03 पर उम्र-17 वर्ष अवयस्क पुत्र के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : धारडी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

96	Dha-269	मेहताब / केरिया / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 55 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
97	DHA-276	गोकुलप्रसाद / परसराम / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	जी.आर.ए के आदेश के पालन में आवेदक को कृषक के रूप में पुनर्वास अनुदान राशि रु. 34350 स्वीकृत भुगतान की गई है।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19504, 19849 आदेश दि. 24.03.09 द्वारा कृषक पुनर्वास अनुदान मान्य	आवेदक के नाम कृषि भूमि होने से कृषक के रूप में पुनर्वास नीति के तहत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। पात्रता नहीं।	
98	DHA-275	मेहताब / अर्जुन / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 19 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक के नाम कृषि भूमि होने से कृषक के रूप में पुनर्वास नीति के तहत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। पात्रता नहीं।	
99	DHA-274	अर्जुन / मांगीलाल / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 17 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक के नाम कृषि भूमि होने से कृषक के रूप में पुनर्वास नीति के तहत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। पात्रता नहीं।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : धारडी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

100	DHA-273	बद्रीदास / गंगादास / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	जी.आर.ए के आदेश के पालन में आवेदक को भूमिहीन अन्य मजदूर के रूप में पुनर्वास अनुदान राशि रु. 93000 स्वीकृत भुगतान की गई है।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19501, 19864 आदेश दि. 04.04.09 द्वारा अन्य मजदूर के रूप में अनुदान मान्य	आवेदक को भूमिहीन अ. मजदूर के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
101	DHA-272	मंगली / लालसिंग / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	जी.आर.ए के आदेश के पालन में आवेदक को भूमिहीन के रूप में पुनर्वास अनुदान राशि रु. 93000 स्वीकृत भुगतान की गई है।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19495, 19859 आदेश दि. 04.04.09 द्वारा कृ० म० के रूप में पुनर्वास अनुदान मान्य	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
102	DHA-315	प्रताप / कालू / धारडीमजरा टोला नरसिंग.	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 54 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक द्वारा भूखंड के बदले नगद राशि 20000 प्राप्त कर ली गई। पात्रता नहीं।	
103	Dha-270	अशोक / छतरसिंग / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	जीआरए के आदेश के पालन में आवेदक को पुनर्वास अनुदान मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए के प्रकरण 19499, 19852 आदेश दि. 04.04.09 मान्य	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : धारडी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

104	DHA-288	रायसिंह / देवलाल / धारडी	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदक को एफआरएल मुआवजा ग.प.क क्र. 07 पर मकान मुआवजा राशि 18338 निर्धारित कर भुगतान की गई है। पुन. अनुदान ग.प.क्र. 2 पर अ मजदूर के रूप में राशि 76850 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को मकान की मुआवजा राशि 18338 भुगतान की गई	
105	Dha-268	अम्बाराम / गेदालाल / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	25 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
106	DHA-267	करेषना / गेदालाल / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 24 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
107	DHA-266	शांतराम / गेंदालाल / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 32 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक के नाम कृषि भूमि होने से कृषक के रूप में पुनर्वास नीति के तहत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। पात्रता नहीं।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
ग्राम का नाम : धारडी							
आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत							
108	DHA-265	धनसिंह / प्रहलाद / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 20 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
109	DHA-264	कुन्ताबाई / गेदालाल / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 22 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
110	DHA-237	कन्हैया / बाबू / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 8 पर अ मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
111	DHA-271	मोतेसिंह / अर्जुन / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 18 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक के नाम कृषि भूमि होने से कृषक के रूप में पुनर्वास नीति के तहत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। पात्रता नहीं।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : धारडी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

112	DHA-294	हजारी / चैनसिंह / धारडी म.टोला नरसिंगपुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19862 आदेश दि. 04.04.09 द्वारा अन्यत्र निवासी होने से अमान्य	अन्यत्र निवासी होने से पात्रता नहीं।	
113	DHA-312	हेमराज / अर्जुन / धारडी म.टोला नरसिं.	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदक को मुआवजा ग.प.क क्र. 88 पर मकान मुआवजा राशि 21499 निर्धारित कर भुगतान की गई हैं	—	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं होने से पात्रता नहीं।	
114	DHA-311	मेहताब / केरिया / धारडी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिए जाने बाबत्।	—	—	पुनर्वास स्थल देवझिरी तहसील बागली जिला देवास में भूखंड क्र. 311 आदेश दिनांक 04.03.2010 से भूखंड आवंटन किया गया है।	
115	dha-310	मोहन / किसन / धारडी	पुनर्वास नीति कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिए जाने बाबत्	—	—	पुनर्वास स्थल देवझिरी तहसील बागली जिला देवास में भूखंड क्र. 304 आदेश दिनांक 20.06.12 से भूखंड आवंटन किया गया है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : धारडी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

116	DHA-309	अशोक / छगन / धारडी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	—	—	पुनर्वास स्थल देवझिरी तहसील बागली जिला देवास में भूखंड क्र. 294 आदेश दिनांक 20.06.12 से भूखंड आवंटन किया गया है।	
117	DHA-308	धनसिंग / प्रहलाद / धारडी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिए जाने बाबत	—	—	पुनर्वास स्थल देवझिरी तहसील बागली जिला देवास में भूखंड क्र. 121 आदेश दिनांक 20.06.12 से भूखंड आवंटन किया गया है।	
118	DHA-307	किसन / मुकुन्द / धारडी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिए जाने बाबत।	—	—	पुनर्वास स्थल देवझिरी तहसील बागली जिला देवास में भूखंड क्र. 171 आदेश दिनांक 04.03.10 से भूखंड आवंटन किया गया है।	
119	DHA-277	बालू / नानू / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 63 पर अ. मजदूर के रूप में राशि रु. 67500 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन अ. मजदूर के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : धारडी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

120	DHA-295	गोविंद / चैनसिंह / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 62 पर भूमिहीन अ मजदूर के रूप में राशि रु. 67500 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन अ. मजदूर के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
121	DHA-287	सुशीलाबाई / हीरालाल / धारडी	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को मुआवजा ग.प.क क्र. 9 पर मकान मुआवजा राशि 13031 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19907 आदेश दि. 22. 08.08 द्वारा कंडिका 7. 2 की राशि अमान्य	जी.आर.ए से अमान्य होने से पात्रता नहीं	
122	DHA-293	गोविंद / चैना / धारडी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 62 पर अ मजदूर के रूप में राशि रु. 67500 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक द्वारा भूखंड के बदले नगद राशि 20000 प्राप्त कर ली गई। पात्रता नहीं।	
123	DHA-292	गणपत / चैनसिंह / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19863 आदेश दि. 04. 04.09 द्वारा अन्यत्र निवासी होने से अमान्य	जी.आर.ए द्वारा अमान्य होने से पात्रता नहीं।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : धारडी आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

124	DHA-291	करणसिंह / चैनसिंह / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 71 पर अ मजदूर के रूप में राशि रु. 67500 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन अ. मजदूर के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
125	DHA-290	चैनसिंह / लक्ष्मण / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 74 पर अ मजदूर के रूप में राशि रु. 67500 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन अ. मजदूर के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
126	DHA-289	अशोक / छतरसिंह / धारडी	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को एफआरएल आबादी अवार्ड में मकान की मुआवजा ग.प.क क्र. 06 पर मकान मुआवजा राशि 11183 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19906 आदेश दि. 22.08.08 द्वारा कंडिका 7.2 की राशि अमान्य	जीआरए से अमान्य पात्रता नहीं।	
127	DHA-262	हजारीलाल / लालसिंह / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	जी.आर.ए के प्रकरण क्र. 19587, 19494 आदेश दि. 24.03.09 के पालन में कृषि मजदूर के रूप में राशि 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	जी.आर.ए के प्रकरण क्र. 19587, 19494 आदेश दि. 24.03.09 द्वारा मान्य	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : धारडी आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

1	DHA-303	गोदाबाई / हरेसिंह / धारडी	मेरे घर का अर्जन करने बाबत्।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 1901 आदेश दि. 15.04.09 द्वारा कार्यक्षेत्र से बाहर	मकान धारा 4 के प्रकाशन के पश्चात् निर्मित होने से अवार्ड में शामिल नहीं किया गया।	
2	DHA-296	समोताबाई / देवलाल / धारडी	मेरे घर का अर्जन करने बाबत्	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19900 आदेश दि. 15.04.09 द्वारा कार्यक्षेत्र से बाहर	मकान धारा 4 के प्रकाशन के पश्चात् निर्मित होने से अवार्ड में शामिल नहीं किया गया।	
3	DHA-297	काशीबाई / हजारीलाल / धारडी	मेरे घर का अर्जन करने बाबत्।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19900 आदेश दि. 15.04.09 द्वारा कार्यक्षेत्र से बाहर	एफआरएल से एमडब्ल्यूएल के बीच गुमटी मकान की श्रेणी में नहीं आती है। अतः अवार्ड में शामिल नहीं।	
4	DHA-298	शोभाराम / जगन्नाथसिंह / धारडी	मेरे घर का अर्जन करने बाबत्।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19897 आदेश दि. 15.04.09 द्वारा कार्यक्षेत्र से बाहर	मकान धारा 4 के प्रकाशन के पश्चात् निर्मित होने से अवार्ड में शामिल नहीं किया गया।	
5	DHA-299	महेश / हरेसिंह / धारडी	मेरे घर का अर्जन करने बाबत्।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20010 आदेश दि. 15.04.09 द्वारा कार्यक्षेत्र से बाहर	मकान धारा 4 के प्रकाशन के पश्चात् निर्मित होने से अवार्ड में शामिल नहीं किया गया।	
6	DHA-300	तेरसिंग / देवीलाल / धारडी	मेरे घर का अर्जन करने बाबत्।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19899 आदेश दि. 15.04.09 द्वारा कार्यक्षेत्र से बाहर	एफआरएल से एमडब्ल्यूएल के बीच रिक्त भूखंड का अर्जन नहीं किया जाता है। अतः रिक्त भूखंड अवार्ड में शामिल नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : धारडी आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

7	DHA-301	गोकुल / परसराम / धारडी	मेरे घर का अर्जन करने बाबत।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19896 आदेश दि. 15. 04.09 द्वारा कार्यक्षेत्र से बाहर	एफआरएल से एमडब्ल्यूएल में रिक्त भूखंड का अर्जन नहीं किया जाना है। अतः रिक्त भूखंड अवार्ड में शामिल नहीं किया गया।	
8	DHA-302	पप्पू / हरेसिंह / धारडी	मेरे घर का अर्जन करने बाबत।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20011 आदेश दि. 15. 04.09 द्वारा कार्यक्षेत्र से बाहर	मकान धारा 4 के प्रकाशन के पश्चात् निर्मित होने से अवार्ड में शामिल नहीं किया गया।	
9	DHA-304	मीराबाई / गोकुल / धारडी	मेरे घर का अर्जन करने बाबत।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19896 आदेश दि. 15. 04.09 द्वारा कार्यक्षेत्र से बाहर	एफआरएल से एमडब्ल्यूएल में के बीच रिक्त भूखंड व गुमटी जो मकान की श्रेणी में नहीं आती उनका अर्जन नहीं किया जाना है। अतः अवार्ड में शामिल नहीं किए गए।	
10	DHA-305	मनोज / अर्जुन / धारडी	मेरे घर का अर्जन करने बाबत।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19898 आदेश दि. 15. 04.09 द्वारा कार्यक्षेत्र से बाहर	मकान धारा 4 के प्रकाशन के पश्चात् निर्मित होने से अवार्ड में शामिल नहीं किया गया।	
11	DHA-581	कालू / बावरिया / धारडी	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत	आवेदक को अविकसित इकाई मुआवजा ग.प.क क्र. 02 पर मकान मुआवजा राशि 159315 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	—	पात्रता नहीं।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : धारडी आवेदन पत्र का प्रकार : 9 अन्य

1	DHA-537	पदम / गणपत / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 61 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
2	DHA-231	गबू / मेहताब / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष पुनर्वास अनुदान दिए जाने बाबत	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
3	DHA-578	हरीराम / उँकार / धारडी	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 48 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	